

दिल्ली विकास प्राधिकरण  
कुतुब गोल्फ कोर्स  
प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली – 110017

F3 (01)QGC/DDA/सिविल/2024-25/561

दिनांक:- 20/06/2024

**शुद्धिपत्र संख्या 03**

**विषय:- ऑनलाइन निविदा संख्या 01/QGC/DDA/2023-24 के संबंध में शुद्धिपत्र  
(निविदा Id-2024 DDA 810018 1)**

**कार्य का नाम: - कुतुब गोल्फ कोर्स, DDA का मंत्रालय।**

**उपशीर्षक: कुतुब गोल्फ कोर्स, DDA में ड्राइविंग रेंज में स्नैक बार/कैफे सहित नए क्लब हाउस में  
मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर खाद्य और पेय सेवाओं का संचालन।**

- उपर्युक्त निविदा दिनांक 05.06.2024 को एनआईटी संख्या 01/क्यूजीसी/डीडीए/2023-24 (निविदा आईडी-2024\_डीडीए\_810018\_1) के तहत आमंत्रित की गई थी।
- इस संबंध में, उपर्युक्त निविदा में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन नीचे सारणीबद्ध हैं:-

| क्र.सं. | एनआईटी स्थिति  | संशोधित स्थिति  |
|---------|--|---|
| (ए)     | <b>विशेष नियम एवं शर्तों के खंड 13 में कहा गया है कि:</b><br>“निविदाकर्ता को जीएनसीटी दिल्ली के कर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और तकनीकी बोली के साथ बिक्री कर पंजीकरण/टीआईएन की प्रति और अंतिम भुगतान किए गए कर के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए” । | निविदाकर्ता को जीएनसीटी दिल्ली के कर विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और आशय पत्र जारी होने के 10 दिनों के भीतर बिक्री कर पंजीकरण/टीआईएन की प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। |
| (बी)    | <b>विशेष नियम एवं शर्तों के खंड 29 (पैरा 6) में कहा गया है कि:</b><br>“पार्टियों को शाम 07.30 बजे के बाद से सुबह 01.00 बजे तक अनुमति दी जाएगी” ।   | बुकिंग के अनुसार पार्टियों को अनुमति दी जाएगी।  |
| (सी)    | <b>विशेष नियम एवं शर्तों के खंड 17 में कहा गया है कि:</b><br>“बार सेवाएं डीडीए और एजेसी के बीच 50:50 लाभ-साझाकरण (जीएसटी सहित) अनुपात पर प्रदान की जाएंगी, अर्थात् डीडीए और लाइसेंसधारी का हिस्सा प्रत्येक ब्रांड की शराब/स्प्रिट के बिक्री मूल्य और निर्गम                | बार सेवाएं डीडीए और एजेसी के बीच 50:50 लाभ-साझाकरण (जीएसटी सहित) अनुपात पर प्रदान की जाएंगी, अर्थात् डीडीए और लाइसेंसधारी का हिस्सा प्रत्येक                          |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     | <p>मूल्य के अंतर का 50% होगा। डीडीए के 50% लाभ पर जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी और डीडीए इस मद में कोई खर्च नहीं उठाएगा। यदि प्रबंधन द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त शराब की वस्तुओं को भी पारस्परिक रूप से सहमत बिक्री मूल्य पर परोसा जाना आवश्यक होगा” ।</p>   | <p>ब्रांड की शराब/स्पिरिट के बिक्री मूल्य और निर्गम मूल्य के अंतर का 50% (जीएसटी सहित) होगा। यदि प्रबंधन द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है तो उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त शराब वस्तुओं को भी पारस्परिक रूप से सहमत बिक्री मूल्य पर परोसा जाना आवश्यक होगा।</p> <p><b>उदाहरण</b> के लिए, यदि किसी ब्रांड का निर्गम मूल्य 60 रुपये है और बिक्री मूल्य 100 रुपये है, तो लाभ 40 रुपये होगा। इस मामले में, डीडीए और ऑपरेटर में से प्रत्येक का हिस्सा 20 रुपये होगा। इस राशि में शराब की सेवा के लिए भुगतान किया जाने वाला जीएसटी शामिल होगा।</p> |
| (घ) | <p><b>विशेष नियम एवं शर्तों के खंड 1 में कहा गया है कि:</b></p> <p>“लाइसेंसधारक को आयुक्त (खेल) से स्वीकृत दरों पर निर्माण के पश्चात रेस्तरां, बार, कॉफी शॉप, छत पर भोजन, 3 कियोस्क, पार्टी रूम, पार्टी लॉन, अल्बार्टोस और पार्टी रूम में नाश्ता, शीतल पेय, पेय पदार्थ और नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज बेचने/परोसने की अनुमति होगी। गोल्फ कोर्स परिसर के भीतर सिगरेट की बिक्री सख्त वर्जित है।”</p> | <p>लाइसेंसधारक को आयुक्त (खेल) से स्वीकृत दरों पर निर्माण के पश्चात रेस्तरां, बार, कॉफी शॉप, छत पर भोजन, 3 कियोस्क, पार्टी रूम, पार्टी लॉन, अल्बार्टोस और पार्टी रूम में नाश्ता, शीतल पेय, पेय पदार्थ और नाश्ता/दोपहर का भोजन/रात्रिभोज बेचने/परोसने की अनुमति होगी। गोल्फ कोर्स परिसर के भीतर सिगरेट की बिक्री सख्त वर्जित है।</p> <p>शराब को छोड़कर भोजन और पेय पदार्थों की कीमतें, जो मेहमानों/सदस्यों से ली जा सकती हैं, की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाएगी और वह आयुक्त (खेल) के अनुमोदन के अधीन होगी।</p>                            |
| (ई) | 4-स्टार और 5-स्टार रेटिंग   | बोलीदाताओं को यह स्पष्ट किया जाता है कि होटलों के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा दी गई स्टार रेटिंग लागू होगी।  |
| (च) | आरक्षित मूल्य   | यह स्पष्ट किया जाता है कि 6,50,700/- रुपये के आरक्षित मूल्य में 18% जीएसटी शामिल है।  |
| (छ) | संयुक्त उद्यम (जेवी)/कंसोर्टियम   | यह स्पष्ट किया जाता है कि जेवी/कंसोर्टियम की अनुमति नहीं है।  |


3. उपरोक्त के अलावा, शराब में मेहमानों/सदस्यों से लिए जा सकने वाले लाभ मार्जिन की जानकारी इस प्रकार है:-

(i) क्यूजीसी में बार के लिए

| शराब श्रेणी                             | लाभ अनुपात |        |
|---|------------|--------|
|   | आईएमएफएल   | आयातित |
| बीयर सभी प्रकार                         | 60 %       | 65 %   |
| बीयर किंगफिशर प्रमर 330एमएल             | 80%        | -      |
| बीयर किंगफिशर अल्ट्रा 650 एमएल          | 70%        | -      |
| वाइन                                    | 70 %       | 65 %   |
| व्हिस्की (ब्लेंडर प्राइड और रॉयल स्टेज) | 65%        | 65%    |
| व्हिस्की (100 पाइपर स्कॉच व्हिस्की)     | 50%        |        |
| व्हिस्की सभी प्रकार                     | 85 %       | 65 %   |
| स्पिरिट<br>(वोदका, जिन, रम आदि)         | 85 %       | 65 %   |
| लिकर सभी प्रकार                         | 85 %       | 65 %   |
| सिंगल माल्ट                             | 35%        | 35%    |

(ii) क्यूजीसी में भोज/पार्टियों के लिए

| शराब श्रेणी                | लाभ अनुपात |        |
|----------------------------|------------|--------|
|                            | आईएमएफएल   | आयातित |
| बीयर और ब्रीज़र सभी प्रकार | 30%        | 30%    |
| वाइन                       | 30%        | 25%    |
| व्हिस्की                   | 35%        | 25%    |
| सिंगल माल्ट व्हिस्की       | 15%        | 15%    |

  
 सहायक अभियंता (सिविल)  
 क्यूजीसी/डीडीए